न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

<u>अपील संख्या 176/2024</u>
(जीसीएमएस संख्या 2024/170)

निर्णय दिनांकः– 10-10-25

1. नसीबा बानो पत्नी रमजान खां जाति मुसलमान साकिन सतासर तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।
2. खमिशेखा
3. पठाणी
4. अमीना
5. समीर खां

(क्रमांक 2 से 5) पिसरान रमजान खां पुत्र निजामत जाति मुसलमान साकिन सतासर तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, छतरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 23–03–1984
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

<u>उपस्थितिः–</u>

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के आदेश दिनांक 23–03–1984 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि यह कि अपीलान्ट के पिता/पति रमजानखां पुत्र निजामत गाव सतासर को चक 1 एस.डी.डब्ल्यु.एम.एल. तहसील छतरगढ़ के मु.न. 8/82 के कि.न. 1 ता 21 तादादी 21.00 बीघा एव मु.न. 8/46 के कि.न 1 ता 21 तादादी 21. 00 बीघा कुल तादादी 42.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि भूमिहीन श्रेणी मे दिनाक 23.03.84 को पुख्ता आवंटन हुई और रकबा बंजर और बडे टीलो के नजदीक होने के कारण काबिल काश्त नही रहा और वर्षा का अभाव और अकाल का साया अक्सर रहने लगा फिर भी अपीलान्ट के पिता काश्त करने का प्रयास करते रहे और अनपढ खेतिहर किसान होने के कारण राजस्व रिकार्ड की तरफ जानकारी के अभाव में ध्यान नही दिया और अक्सर राजस्व अभियान मे अमलदरामद का आवेदन कर देते और पटवारी हल्का कहता आप का काम हो जाएगा। इसी विश्वास पर खेती करते रहे। अपीलान्ट के पिता का देहान्त दिनाक 01.10.2016 को हो गया और पिता ने अपने जीवनकाल मे ही उक्त रकबे की समस्त किस्ते अपने खाता मे जमा करवा दी थी तथा तहसीलदार को आदेशित किया गया कि रिकार्ड मे आवटन का अंकन करे लेकिन रिकार्डधारी ने उक्त आदेश की पालना नही कर रकबा अराजीराज ही रखा और वर वक्त आवटन पटटा में सहवन से ब्लाक 8 की बजाय 9 का अंकन होने से अन्य चक का हवाला भी देकर परेशान किया गया और फलस्वरूप उक्त रकबा राजस्थान राजपत्र गजट मे प्रकाशित हो गया और तब से निरन्तर अराजीराज चल रहा है। अपीलांट के पिता अनपढ़ काश्तकार थे और आवंटन को ही अंतिम माना और किस्त पेटे राशि का भुगतान अमलाराज को कर दिया जबकि रकबा अराजीराज और गजट में साया हो चुका था पिता के फौत होने के बाद अपीलान्ट को पता चला तो अमलदरामद के लिए 2022 मे शिविर प्रभारी और आवटन अधिकारी खाजूवाला को प्रार्थना पत्र दिया और तहसीलदार ने रिपोर्ट हेतु लिखा और पटवारी हल्का से पता चला कि उक्त भूमि विशेष आवटन श्रेणी की है। अपीलान्ट के पिता निरन्तर प्रयासरत रहे है तथा अनपढ बीमार होने के कारण कानुनी पेचदगियो को नही जानते थे और अपीलान्ट उक्त भूमि पाने के पात्र है तथा उनके पिता को विधिक रूप से आवटन उक्त भुमि कर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

दी थी। अपीलान्ट का कोई कसूर नही है वह आज भी भुमिहीन काश्तकार है समस्त किस्ते खजानाराज मे जमा है फिर भी लम्बी अवधि तक अमलदरामद नही कर रकबा गजट में प्रकाशित कर अपीलान्ट के हको पर कुठाराधात किया है। अपीलान्ट के पिता खेतिहर किसान थे जिसे आवटन नियमो का ध्यान नही रहा और वरवक्त आवटन अमलदरामद हेतु पटटा आवटन बाद तहसीलदार को दे दिया और विश्वास किया कि जमीन नाम हो गई और बाद मे फौत होने के बाद अपीलान्ट को जानकारी हुई इसी दौरान कोरोना माहमारी से सब अस्त व्यस्त हो गया। मई 2022 मे किस्ते जमा करवाने गया तो लेखाकार ने बताया कि आपकी समस्त किस्ते जमा है अमलदरामद करवावो तो अमलदरामद हेतु उपखण्ड अधिकारी को दरख्वाश्त पेश की और रिपोर्ट करवाने गया तो पता चला की रकबा विशेष गजट का आरक्षित श्रेणी का है और तहसीलदार ने दिनाक 14/8/23 को यह कहते हुए अमलदरामद का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया की रकबा राजस्थान राजपत्र गजट मे प्रकाशित है अमलदरामद नही किया जा सकता है। जैर अपील आदेश का आज दिनाक तक रिकार्ड में अंकन नहीं कर रकबा विशेष आवटन मे आरक्षित कर दिया अपीलान्ट सामान्य आवटन का पात्र है और आज दिनाक भूमिहीन है जिसे बिना किसी कानुनी आधार के आवटन से वचिंत करने के लिए जैर अपील आदेश पारित किया है जो न्याय की मशां एंव मेण्डेटरी प्रावधानो के विपरित पारित होने के कारण स्वतःशुन्य है जिसे निरस्त किया जाकर अन्यत्र शुद्ध रकबा राज सामान्य भूमि का आवटन का पात्र मानकर पूर्व मे जमा राशि का समायोजन करते हुए अन्यत्र आवटन किया जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियाद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहाॅ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह स्वीकृत स्थित है कि अपीलान्ट के पिता/पति रमजानखां पुत्र निजामत गाव सतासर को चक 1 एस.डी.डब्ल्यु.एम.एल. तहसील छतरगढ़ के मु.न. 8/82 के कि.न. 1 ता 21 तादादी 21.00 बीघा एव मु.न. 8/46 के कि.न 1 ता 21 तादादी 21. 00 बीघा कुल तादादी 42.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि भूमिहीन श्रेणी मे दिनाक 23.03.84 को पुख्ता आवंटन हुई थी।

उक्त रकबा बाबत अपीलांट के पिता द्वारा समस्त राशि खजानाराज में जमा करवा दी गई। परन्तु अपीलांट के पिता अनपढ़ खेतिहार किसान

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

होने के कारण उक्त आवंटन का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में नही करवा सके। जिससे रकबा अराजीराज और गजट में साया हो चुका था।

अपीलांट द्वारा तहसीलदार राजस्व, पूगल के समक्ष आवंटन का अमलदरामद करवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसकी प्रमाणित प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के पीछे पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि रकबा काबिल काश्त नही था। तथा तहसील राजस्व लेखाकार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट के पिता को बतौर भूमिहीन आवंटन 42 बीघा अनकमाण्ड का दिनांक 22–03–1984 को किया गया था। किस्त पेटे समस्त राशि अपीलांट के पिता द्वारा खजानाराज में जमा करवा दी गई थी।

उक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि अपीलांट के पिता द्वारा उक्त रकबा का आवंटन किया गया था। आवंटन के पश्चात अपीलांट के पिता द्वारा समस्त राशि भी जमा करवा दी गई थी। परन्तु आवंटन का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में नही हो सका जिसके कारण रकबा गजट में नोटिफाइड हो गया था।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छतरगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जॉच करे कि अपीलांट को आवंटित रकबा कभी खारिज न हुआ हो तो अपीलांट की पात्रता की जॉच करते हुए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर